न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 61 सन 2019
अनवान :–

1. लिलाधर पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

बनाम

1. हजारीराम पुत्र कुम्भाराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
2. रामकुमार पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
3. कृष्ण कुमार पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
4. धर्मपाल पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
5. महेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
6. सावित्री पुत्री हजारीराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
7. रोशनी पुत्री हजारीराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 18.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 712/617 के खसरा न0 383/1 की कुल 10.117हैक , इसीप्रकार रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 286/173 के खसरा न0 90/5 की 2.9460हैक भूमि स्थित है जो पूर्व में वादी के दादा कुम्भाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त हो जाने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर ओद हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के वाद भूमि हिस्से में आई है इसप्रकार विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ,7 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने काश्त की सुविधा के अनुसार बाहमी बटवारा कर लिया हे उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या ,6 ,7 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 , 7 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ,7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या ,6, 7 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 712/617 की कुल 10.1170हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 286/173 की कुल 2.9460हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)